"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/. सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 नवम्बर 2005—कार्तिक 26, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर, 2005 (कार्तिक 26, 1927)

अधिसूचना

क्रमांक -12651/विधान/2005.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 17 नवम्बर, 2005 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं लेफ्टि. जन. (से. नि.) के. एम. सेठ, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा इस राज्य की विधान सभा को गुरुवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से विधान सभा भवन, रायपुर में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूं.

रायपुर
दिनांक : 17 नवम्बर, 2005

लेफ्टि. जन. के. एम. सेठ
पीवीएसएम, एवीएसएम (सेवानिवृत्त)
राज्यपाल, छत्तीसगढ़".

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.